क्रम-संख्या-281

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0–11/ला0–
न्यूज. पेपर/91/05द00
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006

अग्रहायण 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या–1521/79–वि–1–01(क)42-2006

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006

[उत्तर प्रदेश अधिनियम स0 37 सन् 2006]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 16 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21—ख, 21—ग, 21—घ, 33, 33—क, 33—ख, 33—ग, 33—घ, और 33—च" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21—ख, 21—ग, 21—घ, 21—ङ, 21—च, 33, 33—क, 33—ख, 33—ग, 33—घ और 33—च" रख दिये जायेंगे ।

नई धाराओं 21—ङ और 21—च का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 21—घ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:—

विषय विशेषज्ञों का आमेलन

21—ङ(1) निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे विषय विशेषज्ञों की एक सूची होगी जो विहित शैक्षिणिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अर्हता रखते हों और उसके अन्तर्गत ऐसे विषय विशेषज्ञ भी होंगे, जिन्होंने मानदेय प्राप्त किये हों और न्यूनतम दो शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया हो और जो 30 सितम्बर, 2006 को कार्यरत थे। निदेशक द्वारा सूची ऐसी रीति से रखी जाएगी जैसी विहित की जाय।

(2) यदि किसी संस्था में किसी अध्यापक के पद में हुई किसी मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो ऐसे पद को प्रबंधतंत्र द्वारा, निरीक्षक के आग्रह पर, ऐसे विषय विशेषज्ञ को दिया जाएगा, जिसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित किया गया हो।

(3) यदि कोई ऐसा विषय विशेषज्ञ, जिसे उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी हो, अनुमन्य समय, जो सात दिन से कम नहीं होगा, के भीतर पद ग्रहण करने में विफल रहता है, तो उसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची से निकाल दिया जायेगा।

(4) धारा 16 के अधीन किसी संस्था में किसी अध्यापक की नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची समाप्त न हो जाय।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित विषय विशेषज्ञों को उन संस्थाओं में आमेलित किया जाएगा, जहां कोई मौलिक नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हो। किसी विषय विशेषज्ञ का किसी विशिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) 'निदेशक' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ख) शब्द 'निरीक्षक', 'संस्था', 'प्रबन्ध तंत्र' और 'अध्यापक' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में उनके लिए दिये गये हैं, परन्तु 'अध्यापक' के अन्तर्गत प्राचार्य या प्रधान अध्यापक नहीं होंगे;

(ग) 'विषय विशेषज्ञ' का तात्पर्य संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर विहित रीति से नियुक्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों से है;

प्रबंधतंत्र द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति

21—च (1) जहां प्रबंधतंत्र निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धारा 21—ङ की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विषय विशेषज्ञ का पद देने में विफल हो वहां निरीक्षक ऐसे विषय विशेषज्ञ के लिए स्वयं नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है और सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ अध्यापक के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का उस दिनांक से हकदार होगा जिस दिनांक को वह ऐसे नियुक्ति पत्र के अनुसरण में पद पर कार्यभार ग्रहण करता है।

(2) जहां विषय विशेषज्ञ, जिसे उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति पत्र जारी किया जाय, प्रबंधतंत्र की ओर से किसी कार्य या त्रुटि के कारण पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो वहां ऐसा विषय विशेषज्ञ निरीक्षक को अपने कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और इसके पश्चात् वह उस दिनांक से अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दिनांक को वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया गया था। राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के रूप में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और इस रूप में गत छह वर्षों से कार्य कर रहे हैं और ऐसी संस्थाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियां भी विद्यमान हैं। इससे विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध विषय विशेषज्ञों का आमेलन आवश्यक हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त व्यक्तियों के आमेलन के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAI ANUBHAG-1

No. 1521/79-V-1-1-(ka)42-2006
Dated Lucknow December 11, 2006

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and *assented* to by the Governor on December 8, 2006:–

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 37 OF 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 16 of U.P. Act no. 5 of 1982

2 In section 16 of the Uttar Pradesh of Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) for the words and figures "sections 12, 18, 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A, 33-B, 33-C, 33-D and 33-F" the words and figures, "sections 12, 18, 21-B, 21-C, 21-D, 21-E, 21-F, 33, 33-A, 33-B, 33-C, 33-D and 33-F" shall be *substituted.*

Insertion of new sections

3 After section 21-D of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:–

Absorbtion of subject experts

21-E (1) There shall be a list of subject experts working in private aided secondary schools possessing prescribed educational and training qualification including the subject experts who have received honorarium and worked for a minimum period of two academic sessions and were working on September 30, 2006. The list shall be maintained by the Director in such manner as may be prescribed.

(2) Where any substantive vacancy in the post of a teacher in an institution is to be filled by direct recruitment, such post shall, at the instance of the Inspector, be offered by the management to a subject expert whose name is included in the list referred to in sub-section (1).

(3) Where any subject expert who is offered an appointment in accordance with the provision– of sub-section (2) fails to join the post within the time allowed, which shall not be less than seven days, his name shall be removed from the list ,referred to in sub-section (1).

(4) No appointment of any teacher to an institution shall be made .under section 16 unless the list referred to in sub-section (1) is exhausted.

(5) The subject experts included in the list referred to in sub-section (1) shall be absorbed in those institution where any substantive vacancy is to be filled by direct recruitment. No subject expert shall have claim for appointment to any particular post.

Explanation–For the purposes of this section ,–

(a) "Director" means the Director of Secondary Education, Uttar Pradesh and includes any other officer authorised by him in this behalf;

(b) the words "Inspector" , "Institution'', "Management" and teacher shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh High School and Intermediate College (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act,1971,provided that "teacher" shall not include a Principal or a Headmaster.

(c) "subject experts" mean, persons working in aided Secondary Schools on a fixed honorarium appointed in the prescribed manner on a contractual basis.

Appointment of teachers on default by management

21-F(1) Where the management fails to offer any post to a subject expert in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 21-E within the time specified by the Inspector, the inspector, may himself issue the letter of appointment to such subject expert and the subject expert concerned shall be entitled to get his salary as teacher from the date he joins the post in pursuance of such letter of appointment,

(2) Where the subject expert to whom the letter of appointment is issued under sub-section (1), is unable to join the post due to any act or omission on the part of the Management such subject expert may submit his joining report to the Inspector, and shall thereupon be entitled to get his salary from the date he submits the said report.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 was enacted to establish a Secondary Education Services Selection Board for the selection of teachers in institutions recognised under the Intermediate Education Act, 1921. A large number of persons have been appointed as subject-experts in various Government aided Secondary Schools of the State and are working as such for the last six years and a large number of vacancies also exist in such institutions. This necessitated the absorption of subject-experts against existing vacancies. It has, therefore, been decided to amend the said Act to make suitable provisions for the absorption of the said persons.

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Suchiv.

पी०एस०यू०पी०–[illegible] '97 राजपत्र (हि0)–2006–(6796)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/[illegible])।
पी०एस०यू०पी०–[illegible] 2 सा० विधा०–2006-(6797)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।